

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय
मिड-डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



एफ ४(२६१) / प्रांगि / एमडीएम / मासिक निरीक्षण / २०१७-१८ / १०६०

जयपुर, दिनांक : ११.१२.१७

जिला कलेक्टर,
जिला समस्त।

विषय : मिड-डे मील योजना का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मासिक निरीक्षण सुनिश्चित कराने वाबत।
महोदय,

मिड-डे मील योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण के लिए विभागीय दिशा-निर्देश-२०१० के बिन्दु संख्या २२ में निम्नानुसार मासिक लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं :-

क्र.सं.	पदनाम	मासिक निरीक्षणों का लक्ष्य
1	जिला कलेक्टर	5 विद्यालय
2	अति. जिला कलेक्टर	5 विद्यालय
3	उप खण्ड अधिकारी / ए.सी.एम.	10 विद्यालय
4	तहसीलदार	10 विद्यालय
5	अन्य जिला स्तरीय अधिकारी	5 विद्यालय
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	5 विद्यालय
7	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	5 विद्यालय
8	जिला परिषद के अन्य अधिकारी	5 विद्यालय
9	जिला शिक्षा अधिकारी H.Q. elec. Sec	20 विद्यालय
10	खण्ड शिक्षा अधिकारी C.D.U.O. AII	20 विद्यालय
11	विकास अधिकारी पंचायत समिति	10 विद्यालय
12	पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी P.E.O. AII	05 विद्यालय
13	शिक्षा प्रसार अधिकारी A.C.P.U.O. AII	20 विद्यालय
14	पंचायत समिति के अन्य अधिकारी	5 विद्यालय
15	अन्य खण्ड स्तरीय अधिकारी	5 विद्यालय
16	अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय	10 विद्यालय

मासिक निरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि जिलों में विभिन्न अधिकारियों के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण नहीं हो रहे हैं एवं किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट भी मिड-डे मील आयुक्तालय को नहीं भिजवाई जा रही है। निर्धारित मासिक लक्ष्यों के अनुसार निरीक्षण नहीं किए जाने की स्थिति को राज्य सरकार द्वारा काफी गम्भीरता से लिया गया है।

इस क्रम में पुनः अनुरोध है कि कृपया :-

- लक्ष्यों के अनुसार मासिक निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करावें।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय
मिड-डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



2. जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण के प्रपत्र सीधे ही आयुक्तालय को भिजवाये जावें।
3. अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट्स की जिला स्तर पर समीक्षा कर संकलित सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में मासिक रूप से आयुक्तालय को भिजवाई जावे।
4. विद्यार्थियों को मिड-डे मील में पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं अन्नपूर्णा दूध योजनान्तर्गत कक्षा 1-5 तक 150 मिली, तथा 6-8 तक 200 मिली, दूध उपलब्ध कराया जा रहा है, इस बिन्दु का निरीक्षण के दौरान विशेष ध्यान रखा जावे।
5. गवन, अनियमितता, चोरी आदि के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे व की गई कार्यवाही से मिड-डे मील आयुक्तालय को अवगत कराया जावे तथा आवश्यक हो तो प्रकरण मिड-डे कृपया निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :—उपरोक्तानुसार

भवदीय

आयुक्त,
मिड-डे मील

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा), जिला समस्त।
3. मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक समस्त, राजस्थान

11/12/19
उपायुक्त(क्रिया एवं मोनि.)
मिड डे मील

አዲስ አበባ

प्रिय-दोस्तों का अनुराग विद्यालय में विभिन्न अधिकारियों हाथ किये गये मासिक निरीक्षणों का विवरण

1. चिठ्ठे का नाम.....
2. मातृ
3. कल्पना की संख्या

क्र.सं.	निरीक्षण करने वाले अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों का पूर्णिमारित लक्ष्य	किये गये निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण किए गये विद्यालयों में कार्यक्रम कियाज्यन की स्थिति असंतोषप्रद होने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख	असंतोषप्रद होने की स्थिति में आप हासा की गई कार्यवाही का स्पष्ट विवरण
1	जिला कर्तव्यटर	5			
2	अती. जिला कर्तव्यटर	5			
3	उपर्युक्त -अधिकारी / एसीएम	10			
4	तहसीलदार	10			
5	अन्य जिला स्तरीय	5			
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	5			
7	जिला परिषद के अन्य अधिकारी	5			
8	अती.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	5			
9	जिला शिक्षा अधिकारी	20			
10	विकास अधिकारी	10			
11	शिक्षा प्रसार अधिकारी	20			
12	पाचायता प्राचानिक शिक्षा अधिकारी	5			
13	खण्ड शिक्षा अधिकारी	20			
14	प०स० के अन्य अधिकारी	5			
15	अन्य स्पष्ट अधिकारी	5			
16	आधिकारी अधिकारी	10			
	कुल	145			

Pl. send report right today

卷之三